



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- 353/196/2012-2013.

दिनांक:- 12-7-2013.

श्रीमति कुमुद जालोरी, ज्योति लोढा,
नरेन्द्र सिंह बापना, विजय सिंह बापना एवं
राजेन्द्र सिंह बापना

विषय - भवन निर्माण का अनुमति पत्र (प्रथम चरण)

प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2012
के तहत प्रत्येक शक्तिशाली की अनुपालना में जारी

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक ...म.अ/196/12-13.... दिनांक ...14/2/2013..... के अनुसरण में ...बापना हाऊस हॉस्पिटल रोड, उदयपुर... नामी योजना के भूखंड संख्या ब्लॉक संख्या भूखंड संख्या वार्ड संख्या 52..... क्षेत्रफल 35662'-5'..... वर्ग फीट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 17.10.12 को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दिशा निर्देश के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 24/5/2013..... अनुसार अनुमति पत्र जारी किया जाता है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बेक छोड़कर किया जावेगा।

सामने का सेट बेक 40'-0"..... फीट

पीछे का सेट बेक 30'-0"..... फीट

पार्श्व का सेट बेक पार्श्व 1- 30'-0"..... फीट पार्श्व 2 - 30'-0"..... फीट

2. भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के-..... प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 80'-0"..... फीट है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

4. आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।

5. आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

6. आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।

7. आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्च से ही तुड़वाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्च वसूल किया जावेगा।

8. इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखंड के स्वामिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

9. यह स्वीकृति मात्र आवासीय प्लेट उपयोग तथा ...बसमेंट लोवर व बेसमेंट अपर + भूतल + दो मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तानीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लें।

10. भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाईन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

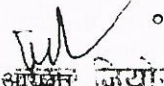
11. भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को धरेलु उपयोग में लिया जावे।

12. भूखंड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावे तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।

13. प्रार्थी इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीय बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखंड को रहन रखें तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।

14. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयावधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

15. मैन गेट के पिल्लर पर प्रार्थी अपना नाम प्लॉट नं./मकान नं., गली/सडक का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावें।
16. मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सडक की तरफ रैम्प, सिढ़ी, नाल आदि न बनावें।
17. प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ़ पदार्थ से बने 4'-0" x 4'-0" आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।
18. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुको के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
19. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होगा।
20. भवन की सुरक्षा के लिये क्वालिफाईड स्ट्रक्चर इंजिनियर से स्ट्रक्चर डिजाईन करवा कर ही निर्माण करावे एवं भूकम्प विरोधी भवन की संरचना बनावे।
21. लोवर एवं बेसमेन्ट में मेनुवल/मेकेनाईज पार्किंग रखे व पार्किंग बाबत दिनांक 22.6.13 के समर्पण की शर्तों पर कायम रहे।
22. प्रार्थी द्वारा दिये गये समस्त शपथ पत्रों की शर्तों की पूर्णता से पालना की जाये।
23. अग्निशमन हेतु 12'-0" फीट चौड़ा कोरिडोर छोड़े।
24. भवन में सौर ऊर्जा सयंत्र लगाया जावे।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करे।


 आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर

CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space expect in the front and that to will be permittes only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0' ft.in ground floor and 10'-0' ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot. Coner of compound wall at road crossing shall be stricltly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this deparment.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be stricly followed.

प्रतिलिपि :-

1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सर्वेयर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. प्रत्यास शाखा प्रथम/द्वितिय को प्रेषित कर लेख है कि नियमों के उल्लंघन विपरित रिपोर्ट आने पर आर ओ को कार्यवाही हेतु भेजे एवं प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, श्रम आयुक्त, उदयपुर (राज)।

आयुक्त
 नगर निगम, उदयपुर

